स्वी० संख्या–2/स्कीम–02–13/2026 श्र०सं०– /पटना, दिनाक .....

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचद पटेल पथ, बिहार, पटना।

द्वारा– वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषयः– मुख्य शीर्ष 2230–श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उपमुख्य शीर्ष–01–श्रम, लघु शीर्ष–101–औद्योगिक संबंध, उपशीर्ष–0109–कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण, विषय शीर्ष–0109–52–01 मशीनें एवं उपस्कर–कार्यालय, मांग संख्या–26, विपत्र कोड–26–2230011010109 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि से माननीय मंत्री, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के आवासीय कार्यालय प्रयोजनार्थ GeM Portal के माध्यम से क्रय किये गये Electronic उपकरणों के भुगतान हेतु सभी कर सहित कुल ₹2,37,383/– (दो लाख सैतीस हजार तीन सौ तिरासी रूपये) मात्र के राशि के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार, वित्तीय वर्ष 2026–27 में माननीय मंत्री, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के आवासीय कार्यालय प्रयोजनार्थ GeM Portal के माध्यम से क्रय किये गये 01 अद्द All in One Computer के भुगतान हेतु ₹1,37,280/–, 01 अद्द Multifunctional Printer के भुगतान हेतु ₹63,333/–, 01 अद्द Color Printer के भुगतान हेतु ₹31,020/– तथा 01 अद्द UPS के भुगतान हेतु ₹5,750/– अर्थात् कुल मिलाकर ₹2,37,383/– (दो लाख सैतीस हजार तीन सौ तिरासी रूपये) मात्र की राशि के व्यय की स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प सं० 12888 दिनांक 03.12.2024 के आलोक में प्रदान की जाती है।

2. विभाग में संचालित कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण चालू स्कीम है। वित्त विभागीय संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 के कंडिका 5(ख)(ii) में यह प्रवधान है कि चालू स्कीमों के लिये प्रत्येक वर्ष स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत उस वित्तीय वर्ष में उद्व्यय तथा बजट उपबंध के अन्तर्गत राशि विमुक्त करने के लिए प्रशासी विभाग सक्षम होगा।

3. यह राशि मुख्य शीर्ष 2230–श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष –01–श्रम, लघुशीर्ष–101–औद्योगिक संबंध, उपशीर्ष 0109–कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण, मांग संख्या–26, विपत्र कोड–26–2230011010109 के अंतर्गत विषय शीर्ष 0109–52–01 मशीने एवं उपस्कर कार्यालय से वित्तीय वर्ष 2026–27 में विकलनीय होगा।

4. इस हेतु इस बजट शीर्ष के अंतर्गत ₹50.00 लाख (पचास लाख रूपये) का बजट उपबंध स्वीकृत है।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, सरकार पक्ष, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना होंगे।

6. उक्त समाग्रियाँ भंडार पंजी में निम्नरूपेण दर्ज हैः– 01 अद्द All in One Computer, 01 अद्द Multifunctional Printer, Color Printer एवं 01 अद्द UPS क्रमशः भंडार पंजी के पृ०–10, 28, 28 एवं 59 पर दर्ज है।

7. स्कीम की स्वीकृति/राशि की विमुक्ति के प्रस्ताव पर संचिका संख्या–2/स्कीम–02–13/2026 के पृ० संख्या–03/टि० पर सक्षम प्राधिकार अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

8. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति पृष्ठ संख्या–03/टि० पर प्राप्त है।

9. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सक्षम प्राधिकार अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(उपेन्द्र प्रसाद)
विशेष सचिव।

ज्ञाप संख्या–2/स्कीम–02–13/2026 श्र०सं०– 217 /पटना, दिनाक 08/10/26

प्रतिलिपि – 1 संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना, को सूचनार्थ प्रेषित।

3. वित्त विभाग, व्यय शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

4. उप सचिव (क्रय), सरकार पक्ष को उनके गै०स०प्रे०सं०–225, दिनांक–05.08.2026 के आलोक में आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5. अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (सरकार पक्ष), श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6. लेखा शाखा सरकार पक्ष, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7. आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

07/10/2026

(उपेन्द्र प्रसाद)
विशेष सचिव।